न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 104 /2017 | तारीख दायरा 13.07.2017 | तारीख फैसला 26.07.20233

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– अखेराज सिंह आत्मज गुलाब सिंह जाति राजपूत मृतक जरिये कायम मुकाम
1/1 धनकंवर बैवा अखेराज सिंह
1/2 सुरेन्द्र सिंह पुत्र अखेराज सिंह
1/3 नरेन्द्र सिंह पुत्र अखेराज सिंह
1/4 राजेन्द्र सिंह पुत्र अखेराज सिंह
1/5 श्रवण सिंह पुत्र अखेराज सिंह
1/6 कृष्णा कंवर पुत्री अखेराज सिंह
जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
(वादीगण)

बनाम

1– धार सिंह आत्मज गुलाब सिंह मृतक जरिये कायम मुकाम
1/1 नृसिंह आत्मज धार सिंह जाति राजपूत निवासी खेड़लजी फाटक कोटा मृतक जरिये कायम मुकाम–
1/1/1 भंवर बाई बैवा नृसिंह
1/1/2 भंवर सिंह लाल पुत्र नृसिंह
1/1/3 विक्रम सिंह पुत्र नृसिंह
1/1/4 नन्दभंवर पुत्री नृसिंह
1/1/5 विमलेश कंवर पुत्री नृसिंह
1/1/6 सोनी कंवर पुत्री नर सिंह
जाति राजपूत निवासी खेड़ली फाटक कोटा
1/2 भरत सिंह आत्मज धार सिंह जाति राजपूत निवासी सुरेला
1/3 विजय बहादुर सिंह आत्मज धार सिंह जाति राजपूत निवासी सुरेला
1/4 गजेन्द्र सिंह आत्मज धार सिंह जाति राजपूत निवासी सुरेला
1/5 उच्छव कंवर पुत्री धार सिंह पत्नि प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी करवाड़ जिला कोटा
1/6 सज्जन कंवर पुत्री धार सिंह पत्नि पृथ्वीराज सिंह जाति राजपूत निवासी डूँगरपुर
1/7 संतोष कंवर पुत्री धार सिंह पत्नि सरोराज सिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ
1/8 हंसा कंवर पुत्री धार सिंह पत्नि रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी मराडी वाण्डीखेडा
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

278		0.03 हे0
279		0.11 हे0
281		0.07 हे0
318		0.75 हे0
401		0.12 हे0
कुल 14 किता	रकबा	8.34 हे0

यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 के पिता तथा गुलाब सिंह व उनके पिता श्री किशन सिंह की थी, जो पुश्तैनी जायदाद है, तथा धार सिंह ने अपने खातें में उक्त जमीन होने का अनुचित फायदा उठाते हुये खसरा नम्बर 117 की 0.27 हे0, खसरा नम्बर 118 की 0.17 हे0 कुल 0.44 हे0 भूमि हमीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत निवासी सुरेला को इन्तकाल नं0 5 दिनांक 16.06.1990 को बेच दी। इसके अलावा खसरा नम्बर 318 की 0.16 हे0 जमीन विजय कुमारी पत्नि हमीर सिंह को बैच दी, इस प्रकार 0.60 हे0 जमीन बेच दी।

यह कि इसके अलावा प्रतिवादी नं0 1 द्वारा खसरा नम्बर 101 की 12 बीघा 8 बिस्वा, तथा खसरा नम्बर 100/2 की 12 बीघा 1 बिस्वा , खसरा नमबर 58 की 8 बीघा , खसरा नम्बर 55 की 1 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नम्बर मि0 30 की 35 बीघा 4 बिस्वा , खसरा नम्बर 53 की 9 बीघा 15 बिस्वा , खसरा नम्बर 85 की 6 बीघा 12 बिस्वा , हमीर सिंह, जलकोर, तथा लाभ सिंह , बच्चन सिंह को तथा दिलीप सिंह वगैरहा को कुल 85 बीघा 14 बिस्वा जमीन को पूर्व में बेचान कर दी, क्योंकि जिस वक्त 1958 में माफी खालसा हुई, जब वादी नाबालिग था, ओर नाबालिगी का फायदा उठाते हुये उक्त जमीन जो घोडा माफी की थी, को प्रतिवादी नं0 1 ने अपने खाते बंधवा लिया, ओर चुपचाप इन लोगों को उक्त भूमि बेचान कर दी ओर इसका नाजायज लाभ उसके द्वारा उठाया गया है।

यह कि इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 ने कुल 85 बीघा 14 बिस्वा जमीन, जिसके 14.31 हे0 बनते है, जिसमें 1/2 हिस्से की वादी की भूमि 7.15 हेक्टर बनती है, उसका बेचान गलत तौर पर उपरोक्त व्यक्तियों को करके वादी को नुकसान पहुॅचाया है।

यह कि अभी प्रतिवादी नं0 1 के खाते में 8.34 हेक्टर आराजी अभी भी खाते में दर्ज है, जिसको भी प्रतिवादी नं0 1 वादी को नुकसान पहुंचाने की नियत से खुर्द बुर्द कर वादी को उसके हिस्से की 7.15 हे0 आराजी से वंचित कर देना चाहता है, जिसका कि उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि पेरा सं0 3 में दर्शाई गई जमीन में वादी व प्रतिवादी नं0 1 का समभाग से बराबर यानि 1/2–1/2 हिस्सा है, लेकिन उक्त पूरी आराजियात पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है ओर उसके किसी भी हिस्से पर प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा नही है ओर प्रतिवादी नं0 1 समभाग से खाते में दर्ज होने के कारण उसमें से भी भूमि को बेचान कर खुर्द बुर्द करना चाहता है। जिसका कि उसको कोई कानूनी अधिकार नही है।

यह कि उपरोक्त आराजी शामलाती पुश्तैनी आराजी है, जिसका वादी व प्रतिवादी नं0 1 के मध्य अभी तक कोई विधिवत बंटवारा नही हुआ है ओर शामलाती भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहभागीदार का बराबर से कब्जा होता है, ओर किसी भी सहभागीदार को भूमि या उसके भाग को खुर्द बुर्द करने का अधिकार नही है, लेकिन फिर भी प्रतिवादी नं0

... गलत तौर पर उक्त भूमि को ... पुश्तैनी ... ... भूमि बेचान कर दी है।

यह कि वाद पत्र की मद सं0 3 व 4 में दर्ज भूमियात जो कि वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 के पूर्वजो की है जिसमें दोनो का 1/2, 1/2 हिस्सा बनता है लेकिन प्रतिवादी द्वारा वादी की नाबालिग अवस्था का फायदा उठाते हुये पैरा नं0 4 में वर्णित भूमि ... के ... के नाम दर्ज करवा ली जिसे दुरूस्त करवा कर वादी अपना नाम भी दर्ज कराने का अधिकारी है।

यह कि स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने की ... से वाद में पक्षकार है जिसे बतौर प्रतिवादी क्रम 3 पक्षकार बनाया गया है।

यह कि प्रस्तुत वाद का वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 द्वारा पुश्तैनी संयुक्त भूमि में से भूमिया वादी की नाबालिगी अवस्था के दौरान विक्रय कर देने और तत्पश्चात वादी द्वारा अनेको बार तकाजा करने के उपरान्त भी आराजी का विभाजन नहीं कराने तथा दुरूस्ती करवाकर वादी का नाम संयुक्त रूप से दर्ज कराने से इनकार कर देने तथा गलत इन्द्राज के आधार पर वाद के पैरा सं0 4 में वर्णित आराजी को भी खुर्द बुर्द करने का प्रयास करने और वादी की कोई बात मानने से स्पष्ट इनकार कर देने पर दिनांक 25.08.2000 को उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे

1- कि वाद पत्र की मद सं0 3 मे वर्णित पुश्तैनी आराजी को वर्तमान में वादी व प्रतिवादी नं0 1 के संयुक्त खाते दर्ज है, मे से प्रतिवादी नं0 1 का नाम हटाया जाकर उक्त सम्पूर्ण आराजी रकबा 6.14 हेक्टर का खातेदार वादी को घोषित करते हुये उक्त आराजी वादी के खाते दर्ज की जा कर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती व अमल किया जावे।

2- कि वाद पत्र के पैरा सं0 4 मे वर्णित आराजी जो वर्तमान मे प्रतिवादी नं0 1 के खाते दर्ज हो रही है, उसका भी प्रतिवादी नं0 1 के साथ 1/2 भूमि का खातेदार वादी को घोषित करते हुये वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दुरूस्ती की जावे, तथा उक्त पैरा सं0 4 मे वर्णित 8.34 हेक्टर आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की 4.17 है0 आराजी प्रतिवादी नं0 1 के खाते से हटाई जाकर वादी के पृथक खाते दर्ज की जावे, तथा रिकार्ड मे दुरूस्ती व अमल किया जावे। उक्त बटवारा अच्छी में से अच्छी व हल्की में से हल्की भूमि के आधार पर किया जावे तथा इस पैरा में वर्णित आराजी मे से प्रतिवादी नं0 1 द्वारा बाला बाला बेचान की गई 0.60 हेक्टर आराजी प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से मे समायोजित की जावे।

3- कि वाद पत्र के पैरा सं0 6 मे वर्णित आराजी कुल 85 बीघा 14 बिस्वा जिसके 13.71 हेक्टर बनते है, और जो प्रतिवादी नं0 1 द्वारा भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बेचान की जा चुकी है, उसका भी 1/2 का खातेदार वादी को प्रतिवादी नं0 1 के साथ घोषित करते हुए चूंकि उक्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 द्वारा बेचान कर राशि हड़प की जा चुकी है अतः वादी के 1/2 हिस्से की भूमि रकबा 6.85 हेक्टर आराजी प्रतिवादी के 1/2 हिस्से में आने वाली वाद पत्र के पैरा सं0 4 की भूमि में समायोजित करते हुये उक्त भूमि से प्रतिवादी नं0 1 का नाम हटाया जाकर वादी के पृथक खाते दर्ज की जाकर रिकार्ड मे दुरूस्ती व अमल किया जावे।

4- कि प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा सं0 3 में वर्णित पुश्तैनी आराजी या उसके भाग को बिना विधिवत विभाजन करवाये तथा

... (राज0)

बिना पृथक पृथक खाते दर्ज कराये खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित नही करे ओर न इस हेतु किसी से कोई रकम प्राप्त करें।

5– कि वाद व्यय वादी को प्रतिवादी नं0 1 से दिलाया जावे तथा अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो, वह वादी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये:–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम सुरेला सम्वत 2053 से 2056
2– नकल जमाबन्दी ग्राम सुरेला सम्वत 2053 से 2056
3– नकल खाता ग्राम सुरेला सम्वत 1998 से 2001
4– नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2013 से 2032
5– नकल जमाबन्दी सम्वत 2034–2037
6– नकल जमाबन्दी खतोनी सम्वत 2018 से 2021
7– नकल जमाबन्दी माफी की सम्वत 2018 से 2021
8– नकल जमाबन्दी ग्राम सुरेला व खाता हमीरसिंह सम्वत 2034 से 2037
9– नकल जमाबन्दी ग्राम सुरेला खाता जसकौर सम्वत 2034 से 2037
10– नकल जमाबन्दी ग्राम सुरेला सम्वत 2043 से 2062
11– नकल वर्तमान जमाबन्दी सुरेला खाता सं0 नया, 84 सम्वत 2073 से 2076
12– नकल वर्तमान जमाबन्दी सुरेला खाता सं0नया , 85 सम्वत 2073 से 2076

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से दिनांक 11.03.2004 को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया , वादी अधिवक्ता की ओर से 30.04.2012 को जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई।

प्रकरण में तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई जिस पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर लिये गये।

तनकी नं0 1–

क्या प्रतिवादी नं0 1 ने वाद पत्र के पैरा 4 में वर्णित आराजी को गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवा लिया ? जिम्मे वादी

तनकी नं0 2–

क्या वादी वाद पत्र के पैरा नं0 6 में वर्णित भूमि का 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी

तनकी नं0 3–

क्या वाद पत्र के पेरा नं0 3 में वर्णित विवादित आराजी पर सम्पूर्ण रूप से वादी ही काबिज काश्त चला आ रहा है ? जिम्मे वादी

तनकी नं0 4–

क्या प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के पैरा नं0 6 में वर्णित आराजी का गलत तरीके से बेचान किया गया तथा वाद पत्र के पैरा 3 में वर्णित आराजी का बेचान करना चाहता है ? जिम्मे वादी

तनकी नं0 5–

क्या प्रतिवादी नं0 1 अपने नाम दर्ज विवादित आराजी पर अपने बाबा श्री किशनसिंह के जीवन काल में बंटवारा से प्राप्त कर तन्हा मालिक व काबिज चला आ रहा है। जिम्मे प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
लाडपुरा, जिला कोटा (राज.)

तनकी नं0 6–
क्या दावा वादी को सुनवाई का अधिकार इस राजस्व न्यायालय को न होने से दावा पोषणीय नही है ?
जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 7–
क्या लिमिटेशन एक्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा एडवर्स पजेशन के सिद्वान्त के आधार पर वादी के अधिकार विवादित आराजी पर समाप्त हो चुके है ?
जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 8–
क्या कथित बेचान प्रारम्भ से ही वादी के ज्ञान में होने से दावा वादी एस्टोपल के सिद्वान्त से बाधित है ?
जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 9–
क्या वादी वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ?
जिम्मे वादी

तनकी नं0 10–
क्या प्रतिवादीगण काउण्टर क्लेम में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है ?
जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है:–

तनकी नं0 1–
क्या प्रतिवादी नं0 1 ने वाद पत्र के पैरा 4 में वर्णित आराजी को गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवा लिया ?

विवादित आराजी ग्राम सुरेला में वादी एवं प्रतिवादी के दादा श्री किशन सिंह की है जो कि पुश्तैनी आराजी है। श्री किशन सिंह जी के गुलाब सिंह जी वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पिता हुये तथा उक्त आराजी गुलाब सिंह जी की मृत्यु के उपरान्त उक्त आराजी गुलाब सिंह जी के दोनो पुत्रों के नाम समान रूप से दर्ज होनी थी, किन्तु वादी अखेराज सिंह नाबालिग होने से एंव प्रतिवादी धार सिंह बालिग होने से स्वंय के नाम दर्ज करवायी गयी जो विधि अनुरूप नही है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में कथन किया है कि प्रतिवादी को उक्त भूमि पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई है किन्तु प्रतिवादी नं0 1 पारिवारिक बंटवारे का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अतः तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं0 2–
क्या वादी वाद पत्र के पैरा नं0 6 में वर्णित भूमि का 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है ?
जिम्मे वादी

विवादित आराजी पुश्तैनी है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के पिता गुलाब सिंह जी की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी नं0 1 के समान रूप से 1/2–1/2 दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं0 3–
क्या वाद पत्र के पेरा नं0 3 में वर्णित विवादित आराजी पर सम्पूर्ण रूप से वादी ही काबिज काश्त चला आ रहा है ?
जिम्मे वादी

ग्राम सुरेला की वर्तमान जमावन्दी खाता संख्या 85 नया, पुराना 72 सम्वत 2073–2076 के अनुसार अखेराज सिंह पुत्र गुलाब सिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज है तथा प्रतिवादीगण के वारिसान का 1/16– 1/16 यानि 1/2

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। जिसको प्रदर्श 16 से स्पष्ट होता है। उक्त तनकी को वादी सिद्व करने में सफल रहा है। अतः तनकी नं0 3 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं0 4–

क्या प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र के पैरा नं0 6 में वर्णित आराजी का गलत तरीके से बेचान किया गया तथा वाद पत्र के पैरा 3 में वर्णित आराजी का बेचान करना चाहता है ?

जिम्मे वादी

ग्राम सुरेला की आराजी पुश्तैनी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 की बराबर बराबर हिस्से की आराजी थी जो वर्तमान जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के द्वारा बेचान की जा चुकी है। तथा खाता संख्या 84 की आराजी में वादी का नाम हिस्से अनुसार दर्ज नहीं होकर केवल प्रतिवादी नं0 1 के वारिसान के नाम दर्ज होने से बेचान किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । अतः तनकी नं0 4 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं0 5–

क्या प्रतिवादी नं0 1 अपने नाम दर्ज विवादित आराजी पर अपने बाबा श्री किशनसिंह के जीवन काल में बंटवारा से प्राप्त कर तन्हा मालिक व काबिज चला आ रहा है।

जिम्मे प्रतिवादी

उक्त विवादित आराजी ग्राम सुरेला में स्थित में किशनसिंह जी के जीवन काल में बंटवारा से प्राप्त होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है, तथा वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 84 में वादी का नाम दर्ज नहीं किन्तु वर्तमान में 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है एवं खाता संख्या 85 में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है एवं प्रतिवादी नं0 1 के वारिसान का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है एवं दर्ज हिस्सा अनुसार वादी के वारिसान व प्रतिवादी नं0 1 के वारिसान का कब्जा काश्त हिस्से अनुसार चला आ रहा है। इस कारण से तनकी नं0 5 विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 6–

क्या दावा वादी को सुनवाई का अधिकार इस राजस्व न्यायालय को न होने से दावा पोषणीय नही है ?

जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। जिस पर वादी ने विवादित आराजी को प्राप्त करने हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। विरासत में प्राप्त आराजी वारिसान को प्रत्येक खसरा नम्बर पर वारिसान का हक जन्म से ही हित निहित होता है। विवादित आराजी में खातेदारी घोषणा का वाद सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अतः तनकी नं0 6 विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 7–

क्या लिमिटेशन एक्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा एडवर्स पजेशन के सिद्वान्त के आधार पर वादी के अधिकार विवादित आराजी पर समाप्त हो चुके है ?

जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त विवादित आराजी पुश्तैनी होने से वादी एवं प्रतिवादी समान रूप से अपने हिस्से अनुसार अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा वादी तत्समय नाबालिक होने से प्रतिवादी के बालिग होने से कब्जा काश्त होने से एडवर्स पजेशन का सिद्वान्त लागू नहीं होता है। वादी अपनी पुश्तैनी आराजी का बराबर का अधिकारी हे ओर अपने हिस्से की

भूमि को खातेदारी दर्ज कराने हेतु कभी भी वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः तनकी नं0 7 विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 8

क्या कथित बेचान प्रारम्भ से ही वादी के ज्ञान में होने से दावा वादी एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित है ? जिम्मे प्रतिवादीगण

विवादित आराजी जो प्रतिवादी नं0 1 द्वारा बेचान की जा चुकी है का ज्ञान वादी को होने का एवं न ही वादी की स्वीकारोक्ती का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सकल सिद्ध नहीं कर पाये है। एस कारण उक्त दावा वादी एस्टोपल के सिद्धान्त से बाधित नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 9–

क्या वादी वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी

उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के बाबा श्री किशन सिंह जी के खाते की है जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पिता गुलाब सिंह जी के हिस्से में आयी तथा गुलाब सिंह जी की मृत्यु के उपरान्त उनके वारासान वादी व प्रतिवादी नं0 1 के समान रूप से बराबर बराबर हिस्से में आती है विवादित आराजी ग्राम सुरेला के खाता संख्या 84 नया की आराजी खसरा नम्बरान 167 रकबा 3.87 हे0, 221 रकबा 0.79 हे0, 231 रकबा 0.28 हे0, 270 रकबा 0.59 हे0, 275 रकबा 0.08 हे0, 278 रकबा 0.03 हे0, 279 रकबा 0.11 हे0, 281 रकबा 0.07 हे0, 318 रकबा 0.59 हे0, 401 रकबा 0.12 हे0 कुल किता 10 किता की रकबा 6.53 हेक्टर भूमि में वादीगण 1/1 ता 1/6 को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का सह खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नं0 10–

क्या प्रतिवादीगण काउण्टर क्लेम में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है ? जिम्मे प्रतिवादीगण

विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के बाबा श्री किशन सिंह जी के खाते की है जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पिता गुलाब सिंह जी के हिस्से में आयी तथा गुलाब सिंह जी की मृत्यु के उपरान्त उनके वारासान वादी व प्रतिवादी नं0 1 के समान रूप से बराबर बराबर हिस्से में आती है, गुलाब सिंह जी की सम्पूर्ण आराजी को केवल प्रतिवादी नं0 1 धार सिंह अपने हिस्से में दर्ज कराने के अधिकारी न होकर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 समान रूप से 1/2– 1/2 हिस्से की आराजी को अपने अपने खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी होगे। अतः उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

प्रकरण में प्रतिवादी नं0 1 श्री धार सिंह की मृत्यु होने से मृतक के कायम मुकाम बनाये जाकर संशोधित टाईटल पेश किया गया। तथा प्रतिवादी क्रम 1/1 नृसिंह की भी मृत्यु दिनांक 01.112016 को हो जाने पर संशोधित टाईटल पेश किया गया। जेरकार प्रकरण में वादी श्री अखेराज सिंह की मृत्यु होने पर संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया जो पत्रावली में शामिल किये गये।

यह कि पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 12.07.2017 की आदेशिका अनुसार वाद पत्र की सम्बन्धित भूमि भू0अ0नि0वृत बमोरी होने से वाद को सुनने का श्रवणाधिकार

सहायक कलक्टर दीगोद को न हो कर उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय का होने से पत्रावली को ए0सी0एम0 दीगोद से उपखण्ड न्यायालय दीगोद के यहां स्थान्तरित किये जाने से प्रकरण को पुन एस0डी0एम के न्यायालय में मिसल नं0 104/2017 को दिनांक 17.07.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवस सुनवाई की गयी।

यह कि प्रतिवादी क्रम 1/1 नृसिंह की मृत्यु होने के उपरान्त मृतक के कायम मुकाम मृतक के विधिक वारिसान की तलबी विधिवत करवायी गई। आदेशिका दिनांक 06.09.2021 अनुसार प्रतिवादी 1/1 के वारिसान बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी क्रम 1/2, 1/3 एवं 1/4 एवं 1/5 ता 1/8 की ओर से श्री महेन्द्र नागर एडवाकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी क्रम 1/2 ता 1/8 की ओर से प्रस्तुत जवाब में वादी के वाद पत्र की प्रत्येक मद को स्वीकार करते हुए ग्राम सुरेला की आराजी खसरा नम्बरान 167 रकबा 3.87 हे0, 221 रकबा 0.79 हे0, 231 रकबा 0.28 हे0, 270 रकबा 0.59 हे0, 275 रकबा 0.08 हे0, 278 रकबा 0.03 हे0, 279 रकबा 0.11 हे0, 281 रकबा 0.07 हे0, 318 रकबा 0.59 हे0, 401 रकबा 0.12 हे0 कुल किता 10 किता की रकबा 6.53 हेक्टर भूमि में वादी श्री अखेराज सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी सुरेला का हिस्सा 1/2 में सह खातेदार दर्ज कर दिया जावे जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तथा कथन किया कि उक्त भूमि पुश्तैनी है ओर गुलाब सिंह जी के धार सिंह व अखेराज सिंह दोनों पुत्र व वारिस है। प्रतिवादीगण 1/4 ता 1/8 की ओर से पृथक पृथक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये जो शामिल फाईल किये गये।

यह कि प्रकरण को साक्ष्य वादी में नियत किया गया। मृतक वादी के विधिक वारिसान रिकार्ड पर लिये जाकर संशोधित टाईटल दिनांक 26.07.2022 की ओर से साक्ष्य वादी में शपथ पत्र सुरेन्द्र सिंह पुत्र अखेराज सिंह , द्वारकालाल पुत्र श्री रामकरण जाति वेष्णव निवासी सुरेला, राजेन्द्र सिंह पुत्र अखेराज सिंह, रामरत पुत्र केसरीलाल जाति मीणा निवासी सुरेला , हरिश पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी सुरेला, तथा गजेन्द्र सिंह नरूका पुत्र श्री धारसिंह जाति राजपूत निवासी सुरेला के प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य वादी में प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र गजेन्द्र सिंह नरूका ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर शपथ पत्र में कथन किया कि उपरोक्त 10 किता की रकबा 6.53 हे0 भूमि गुलाब सिंह जी की मृत्यु के पश्चात सहवन से मेरे पिता धार सिंह जी का नाम दर्ज हो गया व अखेराज सिंह जी का नाम दर्ज होने से रह गया जब कि गुलाब सिंह जी के दोनों सगे पुत्र धार सिंह व अखेराज सिंह जी थे। ग्राम सुरेला की वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 85 सम्वत 2073–2076 में खसरा नम्बर 205, 271, 347, 367,467, 608 व 87 कुल 7 किता रकबा 6.14 हेक्टर भूमि में गुलाब सिंह जी की मृत्यु पश्चात अखेराज सिंह व मेरे पिता धार सिंह जी का नाम दर्ज है मेरे पिता धार सिंह जी की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान का नाम अखेराज सिंह जी क सा 1/2 हिस्से में दर्ज चला आ रहा है। तथा इसी प्रकार अखेराज सिंह जी की मृत्यु के उपरान्त वर्तमान जमाबन्दी ग्राम सुरेला की खाता संख्या 84 सम्वत 2073 से 2076 में खसरा नम्बर167, 221, 231, 270,275, 278,279, 281,318 व 401 कुलि 10 किता रकबा 6.53 हे0 आराजीयात में मृतक अखेराज सिंह जी के विधिक वारिसान वादीगण धनकंवर बेवा, सुरेन्द सिंह, नरेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, श्रवण सिंह पुत्र व कृष्णा कंवर पुत्री ग्राम सुरेला के खाता संख्या 84 की कुल 10 किता की 6.53 हेक्टर

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

भूमि में भी 1/2 हिस्से के खातेदार कृषक घोषित किया जावे। मौके पर खाता संख्या 84 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 12–1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस के परिपेक्ष में दिनांक 02.03.2020 को प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा भी प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

यह कि प्रतिवादी क्रम 1/2 ता 1/8 के अधिवक्ता की ओर से आदेशिका अनुसार दिनांक 15.11.2022 को नोट अंकित किया है कि राजीनामा होने से साक्ष्य वादी से जिरह नही करना चाहते है। अतः पत्रावली को बहस में नियत किया गया।

बहस वादीगण अधिवक्ता एवं प्रतिवादी क्रम 1/2 ता 1/8 के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अध्ययन एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी पुश्तैनी है। वर्तमान जमाबन्दी ग्राम सुरेला के खाता संख्या 85 नया, के कुल 7 किता की 6.14 हेक्टर भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा निहित हे किन्तु ग्राम सुरेला के खाता संख्या नया 84 सम्वत 2073 से 2076 में कुल किता 10 रकबा 6.53 हेक्टर में केवल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरेला के खाता संख्या 84 नया की आराजी खसरा नम्बरान 167 रकबा 3.87 हे0, 221 रकबा 0.79 हे0, 231 रकबा 0.28 हे0, 270 रकबा 0.59 हे0, 275 रकबा 0.08 हे0, 278 रकबा 0.03 हे0, 279 रकबा 0.11 हे0, 281 रकबा 0.07 हे0, 318 रकबा 0.59 हे0, 401 रकबा 0.12 हे0 कुल किता 10 किता की रकबा 6.53 हेक्टर भूमि में वादीगण 1/1 ता 1/6 को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को सरे इजलास में न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)